फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 76/2023

उनवान

श्री भगवानलाल नायक बनाम श्री गोपीलाल नायक

निवासगण निवासगण

धारा 53,92(क)/188 प्रा0पत्र/राजस्व वाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
17/5/23	बाद जॉच वाद/प्रार्थना पत्र/ईजराय/अपील पेश हुई, दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणो को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 5/7/23 ... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	
05/07/2023	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी सं. 6 व 8 के सम्मन विधिवत तामील होकर प्राप्त हुये। प्रतिवादी सं. 6 व 8 उप० नहीं, उप० होने हेतु एक अवसर दिया जाता है। शेष प्रतिवादीगण के सम्मन विधिवत तामील नहीं होने से अधिवक्ता वादी तलबी हेतु इजि० ई-डी० मय सम्मन तलवाना पेश करें। पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी हेतु दिनांक 29/08/2023 को पेश हो।	

24-9-25 पत्रावली पेश। वादी व्यक्तिशः उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी सं० 1 से 5 की तामीली नहीं हुई है। वादी अधिवक्ता तामीलात हेतु समय चाहते हैं। पत्रावली दिनांक 24-10-25 को पेश हो।

24-10-25 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी सं० 1 से 5 के सम्मन पेश कराने हेतु पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं। न्यायहित में एक अन्तिम से अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 30-10-25 को पेश हो।

30.10.25 पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादी व वादी अधिवक्ता को विलम्बित तीन बार आवाजें लगवाई गई। इसके उपरान्त भी वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण वादी की अरुचि एवं वादी अधिवक्ता की अरुचि देखते हुए खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
बीलवाड़ा